

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2022/ 3649

दिनांक - 12/9/2022

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 प्रदीप कुमार पुत्र किशनलाल जाति आचार्य निवासी आचार्यो का वास, ढाणी बाजार बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।


1 जगदीश पुत्र हुकमाराम 2 जितेन्द्र पुत्र अशोक 3 तुलसीदास 4 कैलाश 5 महेन्द्र 6 गजेन्द्र पिसरान रिखबदास 7 पुखराज 8 तनसुख 9 ईश्वरलाल पिसरान हडुमान जाति आचार्य निवासी आचार्यो का वास, ढाणी बाजार बाड़मेर 10 किस्तुरसिंह 11 बाबूसिंह पिसरान वीरमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी परभलाई कुएं के पास बाड़मेर गादान, बाड़मेर आगोर 12 गुमानसिंह पुत्र कुम्पसिंह जाति राजपुरोहित निवासी महाबार तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 132/2022

दिनांक- 23/8/22

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर गादान पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 2482/2156 रकबा 05.11 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड-अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 12/9/2022

क्रमांक :- रीडर/2022/ 3650 - 3653

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रदीप कुमार पुत्र किशनलाल जाति आचार्य निवासी आचार्यो का वास, ढाणी बाजार बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी जगदीश पुत्र हुकमाराम वगैराह जाति आचार्य निवासी आचार्यो का वास, ढाणी बाजार बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड-अधिकारी,
बाड़मेर